

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

चुनाव/अत्यावश्यक

जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर) इन निर्देशों को
अधीनस्थ अधिकारियों को
भेजने से पूर्व स्वयं भी पढ़ें।

क्रमांक: एफ. 7(1)(2)/पंचा/रानिआ/2019/ 1094

दिनांक: 09.02.2021

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलक्टर)

अलवर, बारां, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, जोधपुर,
करौली, कोटा, सवाईमाधोपुर, सिरोही एवं श्रीगंगानगर।

विषय:—पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य) के आम चुनाव हेतु निर्वाचक नामावलियों की तैयारी हेतु कार्यक्रम एवं दिशा-निर्देश।

महोदय,

पंचायतीराज संस्थाओं में शेष रहे 12 जिलों के जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव से पूर्व मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 18 एवं राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के अध्याय-3 के नियम 11 से 22 के अनुसार करवाया जाना है। उक्त प्रावधानों के अंतर्गत ग्राम पंचायत के वार्ड, पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्रों तथा जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों की वार्ड/निर्वाचन क्षेत्रवार मतदाता सूचियाँ तैयार की जायेंगी। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 119 (5) के अंतर्गत निर्वाचक नामावली जिला निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के द्वारा तैयार, पुनरीक्षित, उपान्तरित, आदिनांकित और प्रकाशित की जाएगी। प्रत्येक पंचायत समिति के लिये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों तथा उनकी सहायतार्थ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों की नियुक्ति आयोग के आदेश संख्या एफ. 4(3)(1)/पंचा/रानिआ/14/3335 दिनांक 01.10.2018 से की हुई है। उक्त पत्र पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देशों का संकलन, 2020 पुस्तिका में पृष्ठ संख्या 06-18 पर उपलब्ध है।

राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 11 एवं 19(1) के अन्तर्गत आयोग द्वारा आगामी आम चुनावों हेतु मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण अर्हता तिथि 01.01.2021 के संदर्भ में करवाया जाएगा। इस हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 01.01.2021 के संदर्भ में तैयार की गई विधानसभा की मतदाता सूची, जिसका अंतिम प्रकाशन दिनांक 18.01.2021 को किया गया है, के अद्यतन डेटाबेस के आधार पर तैयार कराकर उनका भौतिक सत्यापन किया जाएगा। भौतिक रूप से सत्यापित निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन कर आगे की कार्यवाही संपादित की जाएगी।

धारा 18(1) के प्रावधानों के अनुसार निम्न तीन प्रकार की मतदाता सूचियाँ तैयार की जानी हैं:—

1. ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची।
2. पंचायत समिति के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची।
3. जिला परिषद के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची।

ग्राम पंचायत के वार्डवार तैयार की गई मतदाता सूची के आधार पर पंचायत समिति तथा जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियाँ तैयार की जायेंगी। इसका तात्पर्य यह है कि पंचायत समिति/जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र में ग्राम पंचायत के जो वार्ड आते हैं, उन सभी संबंधित ग्राम पंचायतों के वार्डों की मतदाता सूची को संकलित कर संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची तैयार मान ली जावेगी। अतः पंचायत समिति/जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पृथक से मतदाता सूचियों की तैयारी की आवश्यकता नहीं है। हालांकि उक्त मतदाता सूचियों का प्रकाशन पृथक-पृथक किया जाना है।

नोट :— राज्य सरकार द्वारा नगरपालिकाओं के गठन से इनमें पूर्ण रूप से सम्मिलित ग्राम पंचायतों के अतिरिक्त ऐसी ग्राम पंचायतें, जिनके क्षेत्र आंशिक रूप से उक्त नवगठित नगरपालिकाओं में सम्मिलित हुए हैं, उनके पंचायतीराज संस्थाओं में बचे हुए क्षेत्रों का परिसीमन होना है। अतः पूर्ण अथवा आंशिक रूप से नवगठित नगरपालिका में सम्मिलित निम्नलिखित तालिका में अंकित जिलों की पंचायत समितियों की मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य नहीं कराया जाना है:—

20.02.2021

जिलेवार पंचायत समितियों की सूची जिनकी मतदाता सूची इस कार्यक्रम में तैयार नहीं की जानी है

क्र. सं.	जिले का नाम	क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	क्र. सं.	जिले का नाम	क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम
1.	अलवर	1.	बानसूर	6.	जयपुर	11.	बस्सी
		2.	लक्ष्मणगढ			12.	पावटा
		3.	रामगढ	7.	जोधपुर	13.	भोपालगढ
		4.	कटूमर	8.	करौली	14.	सपोटरा
2.	बारां	5.	अटरू	9.	कोटा	15.	सुल्तानपुर
3.	भरतपुर	6.	नगर	10.	सवाईमाधोपुर	16.	बामनवास
		7.	उच्चैन	11.	श्रीगंगानगर	17.	सादुलशहर
4.	दौसा	8.	लालसोट	12.	सिरोही	18.	सिरोही
5.	धौलपुर	9.	बसेडी				
		10.	सरमथुरा				

A- विधानसभा की मतदाता सूची के डेटाबेस के आधार पर पंचायत की वार्डवार फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया :-

- आयोग स्तर पर नियुक्त स्टेट लेवल एजेन्सी (SLA) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्स्ट्रुमेंट्स लिमिटेड (रील) द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर (e-suchi), जो url- esuchi.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है, के माध्यम से विधानसभा की अद्यतन मतदाता सूचियों के डेटाबेस को ग्राम पंचायत के वार्डों के रूप में विभाजित किया जाएगा। इस विभाजन की प्रक्रिया के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर से कुछ सूचनाओं की आवश्यकता होगी। उक्त सूचनाएं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रणाली के माध्यम से तैयार करवाएंगे। इन सूचनाओं के संकलन के लिए प्रपत्र ए-1 (परिशिष्ट-1) तैयार किया गया है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रपत्र ए-1 की आवश्यकतानुसार फोटो प्रति काम में ली जा सकती है।
- विधानसभा के भागों का ग्राम पंचायत के वार्डों में विभाजन करने के लिए प्रपत्र ए-1 को निम्नानुसार भरा जाना है :-
 - प्रपत्र में ऊपर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद एवं जिले का नाम लिखा जाएगा।
 - कॉलम नं. 1 क्रम संख्या से संबंधित है।
 - कॉलम नं. 2 में आपकी ग्राम पंचायत जिस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में है, उस विधानसभा क्षेत्र की संख्या अंकित की जाएगी।
 - कॉलम नं. 3 में जिस ग्राम पंचायत से संबंधित यह प्रपत्र है, उससे संबंधित कॉलम संख्या 2 में अंकित विधानसभा क्षेत्र की भाग संख्या अंकित की जाएगी।
 - कॉलम नं. 4 एवं 5 में कॉलम नं. 3 में अंकित विधानसभा भाग संख्या के मतदाताओं की क्रम संख्या (कहाँ से कहाँ तक) अंकित की जाएगी। यह उस वार्ड के लिए होगा, जिसके लिए यह प्रपत्र भरा जा रहा है।
 - कॉलम नं. 6 में कॉलम नं. 4 एवं 5 में अंकित मतदाता ग्राम पंचायत के जिस वार्ड से संबंधित हैं, उस वार्ड की संख्या अंकित की जाएगी।
 - कॉलम नं. 7 में कॉलम नं. 4 एवं 5 के कुल मतदाताओं की गणना स्वतः ही हो जाएगी, जिसमें विलोपित मतदाताओं की संख्या सम्मिलित नहीं होगी।
- विधानसभा डेटाबेस को पंचायत के वार्डवार विभक्त करने हेतु आयोग द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं प्रत्येक जिले से दो मास्टर ट्रेनर (Master Trainers) को प्रशिक्षित किया गया था। यदि जिले में विभक्तिकरण की प्रक्रिया में कोई कठिनाई महसूस होती है तो उसके निवारण के लिए मास्टर ट्रेनर (Master Trainer) की सेवाएं ली जा सकती है।

20/9/2021
9.2.2021

4. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उक्त सूचनाओं के संकलन/डेटा विभाजन के लिए एवं मतदाता सूची संबंधी आगामी समस्त तैयारी हेतु प्रगणकों की सहायता ली जाएगी। आयोग के पत्रांक 3635/27.09.2019 (परिशिष्ट-2) के द्वारा प्रगणकों की नियुक्ति किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए थे। उक्त पत्र में अंकित निर्देशों के अनुरूप प्रगणकों की नियुक्ति यथा शीघ्र कर लें।
5. नियुक्त किए गए प्रगणकों को विधानसभा निर्वाचक नामावली के डेटाबेस को विभक्त करने के लिए एक संक्षिप्त प्रशिक्षण की व्यवस्था उनकी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् की जाए। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में ईआरओ कार्यालय के सूचना सहायक, ग्राम सचिव एवं पंचायत समिति के संबंधित कार्मिकों को भी सम्मिलित किया जाए ताकि परिसीमन से संबंधित किसी प्रकार का कोई संदेह हो तो उसमें उनकी सहायता ली जा सके। प्रशिक्षण में संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रगणकों को प्रपत्र ए-1 में सूचना तैयार करने एवं सूचना सहायकों को ई-सूची (e-suchi) पर उक्त सूचना को अपलोड करने की प्रक्रिया से भली-भांति अवगत कराया जाए।
6. चूंकि कोविड-19 अभी समाप्त नहीं हुआ है, अतः प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क का उपयोग किया जाएगा। प्रशिक्षण स्थल पर सैनेटाईजर भी उपलब्ध कराया जाए ताकि प्रशिक्षण में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति समय-समय पर अपने हाथों को सैनेटाईज कर सकें। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी सुनिश्चित की जाए।
7. प्रगणकों को समुचित रूप से प्रशिक्षित करने के बाद ही सूचना संकलन एवं डेटा विभाजन का वास्तविक कार्य प्रारम्भ किया जाना चाहिए। यह कार्य निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पंचायत समिति मुख्यालय पर ही सभी प्रगणकों को एक ही स्थान पर एकत्रित कर करवाया जाए ताकि यदि किसी विधानसभा की निर्वाचक नामावली के भाग में एक से अधिक वार्डों के मतदाता सम्मिलित हो तो प्रगणक उनके बारे में एक दूसरे को जानकारी देकर उन्हें ग्राम पंचायत के लिए अलग-अलग वार्डों में विभाजित कर लें। यह ध्यान रखा जाए कि पंचायत के किसी वार्ड में उसी वार्ड के मतदाता सम्मिलित रहें अन्य वार्डों के मतदाता नहीं।
8. प्रपत्र ए-1 में सूचना संकलित/डेटा विभाजित करने की प्रक्रिया में प्रगणकों को विधानसभा की दिनांक 01.01.2021 की अर्हता तिथि के आधार पर तैयार अद्यतन मतदाता सूची, वार्डों का नवीनतम सीमांकन (परिसीमन) के आदेश की प्रति तथा वार्ड के नक्शे की आवश्यकता रहेगी। उक्त समस्त दस्तावेज निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रगणकों को उपलब्ध करवाए जायें।
9. परिसीमन आदेश में जो सीमाएं अंकित हैं और उससे यह पता नहीं चले कि कौन-कौन सी बस्ती/कॉलोनी/मौहल्ला उस वार्ड में हैं तथा वार्ड के नक्शे में भी यह पूरी तरह अंकित नहीं हो तो ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत की वर्तमान मतदाता सूची को संदर्भ के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है, क्योंकि वर्तमान निर्वाचक नामावली अर्हता तिथि 01.01.2020 के आधार पर नवीन परिसीमन के अनुसार ही तैयार की हुई है।
10. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पंचायत चुनाव हेतु निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 01.01.2021 की अर्हता तिथि के संदर्भ में तैयार विधानसभा की निर्वाचक नामावली जिसका अंतिम प्रकाशन दिनांक 18.01.2021 को किया गया है, का उपयोग किया जाए।
11. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं प्रगणकों द्वारा सर्वप्रथम विधानसभा की मतदाता सूची के किस भाग में किस-किस वार्ड के मतदाता सम्मिलित हैं, एवं मोके पर वार्ड की सीमाओं के आधार पर उस वार्ड में सम्मिलित मतदाताओं का पता लगाया जाए। यदि इस कार्य में किसी तरह की कठिनाई महसूस हो तो सचिव ग्राम पंचायत व अन्य कर्मचारियों की सहायता ली जा सकेगी।
12. पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों के लिए मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में आयोग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश पत्रांक 1586 दिनांक 10.05.2019 के द्वारा जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के बिन्दु संख्या-3 के अनुसार एक मतदान बूथ पर सामान्यतः 1100 से अधिक मतदाता नहीं होने चाहिए, किन्तु कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा उक्त सीमा को 1000 तक सीमित कर दिया गया है ताकि मतदान के समय मतदाताओं के मध्य सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा सके। अतः मतदान बूथ स्थापित करते समय एक बूथ पर मतदाताओं की संख्या लगभग 1000 तक रखी जाए।

20.9.21
9.2.2021

13. पंचायत चुनाव में एक बूथ पर एक से अधिक वार्डों के मतदाता मत डाल सकते हैं। चूंकि पंचायत चुनाव में वार्ड ही निर्वाचन क्षेत्र होता है, अतः पूरा-पूरा वार्ड एक ही बूथ पर रहेगा, अर्थात् एक वार्ड को पृथक-पृथक बूथों में विभाजित नहीं किया जाएगा। इससे यदि किसी मतदान केन्द्र पर 1000 से कुछ अधिक मतदाता हो जाते हैं, तो उस पर विचार नहीं किया जाए।
14. मतदाता सूची में मतदान बूथ का क्रमांक अंकित किया जाता है। उक्त आदेश दिनांक 10.05.2019 के बिन्दु संख्या 6 के अनुसार मतदान बूथों की क्रम संख्या पंचायत समितिवार आवंटित की जाएगी। अतः मतदान बूथ की क्रम संख्या आवंटित करते समय यह ध्यान रखा जाए कि यह क्रम संख्या 1 से शुरू होकर पूरे पंचायत समिति क्षेत्र के लिए लगातार होगी। जैसा कि उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 6 में उदाहरण प्रस्तुत किया गया है।
15. प्रपत्र ए-1 को तैयार करने से लेकर प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने तक की तिथियां निम्नानुसार रहेंगी:-

क्र.सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	प्रपत्र ए-1 को तैयार करने की अंतिम तिथि	26.02.2021
2.	प्रपत्र ए-1 को ई-सूची पर अपलोड करने की अंतिम तिथि	01.03.2021
3.	प्रपत्र ए-1 को ई-सूची पर Process करने की अंतिम तिथि	03.03.2021
4.	चैकलिस्ट डाउनलोड करने की अंतिम तिथि	05.03.2021
5.	चैकलिस्ट को Verify करने की अंतिम तिथि	10.03.2021
6.	संशोधित प्रपत्र-1 को तैयार/अपलोड करने की अंतिम तिथि (यदि आवश्यक हुआ तो)	13.03.2021
7.	संशोधित प्रपत्र-1 को Process करने की अंतिम तिथि	
8.	प्रपत्र ए-1 को Freez करने की अंतिम तिथि	
9.	प्रारूप मतदाता सूची को डाउनलोड करने की अंतिम तिथि	15.03.2021

16. प्रगणकों से प्रपत्र ए-1 तैयार करवाकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी स्वयं की देख-रेख में ई-सूची ([URL https://www.esuchi.rajasthan.gov.in](https://www.esuchi.rajasthan.gov.in)) पर Excel Sheet (.CSV format) में अपलोड करवाएंगे। उक्त लिंक पर सूचनाओं को अपलोड करने के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को आवंटित यूजरनेम (Username) एवं पासवर्ड (Password) का उपयोग किया जाएगा। स्टेट लेवल एजेन्सी रील द्वारा प्रपत्र-ए-1 की सूचनाओं को अपलोड करने संबंधी प्रक्रिया हेतु तैयार किए निर्देश परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।
17. उक्त सूचनाओं के अपलोड करने के पश्चात् पंचायत की वार्डवार फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची तैयार हो जाएगी। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर से यह जांच भी कर ली जावे कि मतदाता सूची के मुख्य पृष्ठ पर अंकित वार्ड के परिसीमन का विवरण सही है, इसमें अन्य वार्डों का कोई स्थान सम्मिलित नहीं हैं एवं इस वार्ड का कोई भी स्थान छूटा नहीं है। यदि किसी स्थान का सम्मिलित नहीं होना अथवा छूटा होना पाया जाता है तो सॉफ्टवेयर ई-सूची में यह सुविधा है कि आप अपने स्तर पर इसमें संशोधन कर सकते हैं।
18. उक्तानुसार तैयार मतदाता सूची (Check List) का प्रिंट लेकर संबंधित प्रगणकों द्वारा मौके पर जाकर प्रारूप मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं का भौतिक सत्यापन किया जाएगा एवं यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि मतदाता सूची वार्ड के परिसीमन के अनुसार ही है। भौतिक सत्यापन का कार्य दिनांक 10.03.2021 तक पूर्ण कर लिया जाए। यदि भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया जाता है कि विधानसभा की मतदाता सूची में अंकित किसी मतदाता का नाम पंचायत के संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में नहीं है अथवा किसी अन्य वार्ड के मतदाताओं का नाम सम्मिलित हो गया है, तो इसका अर्थ यह है कि आपके द्वारा तैयार किया गया प्रपत्र ए-1 त्रुटिपूर्ण है। अतः ऐसी त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए संबंधित वार्ड के लिए संशोधित प्रपत्र ए-1 तैयार कर पुनः ई-सूची (e-suchi) पर सूचना अपलोड कर संशोधित प्रारूप मतदाता सूची तैयार कर लेवें। संशोधित प्रपत्र ए-1 तैयार कर अपलोड करने, उसे प्रोसेस कर फ्रीज करने, प्रारूप मतदाता सूची को डाउनलोड कर प्रारूप मतदाता सूची दिनांक 15.03.2021 तक तैयार कर ली जाए ताकि दिनांक 17.03.2021 को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जा सके।

9.2.2021

19. भौतिक सत्यापन के दौरान यदि ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं जिनका नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं है तो प्रगणकों द्वारा ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार कर मौके पर ही उनको मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित किया जाए। दावों व आपत्तियों के समय यदि उन व्यक्तियों द्वारा नाम जुड़वाने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं तो उनके भौतिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं रहेगी।

20. उक्त कार्यों का समुचित पर्यवेक्षण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वयं के स्तर पर किया जाएगा। पर्यवेक्षण में अन्य कार्यों के अतिरिक्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रगणक द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन के कार्य का कम से कम क्रमशः 5 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत नमूना जांच (Sample Testing) की जाएगी।

21. मतदाता सूचियों के भौतिक सत्यापन का कार्य पूर्ण होने के बाद संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध प्रारूप में एक प्रमाण पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर सहित आयोग को दिनांक 15.03.2021 तक आवश्यक रूप से प्रेषित किया जाएगा।

B. मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन एवं इसके बाद की तिथियां निम्नानुसार रहेगी:-

- :: निर्वाचक नामावली हेतु पुनरीक्षण कार्यक्रम :: -

क्र.सं.	कार्य विवरण	अवधि
1.	निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन	17.03.2021 (बुधवार) को
2.	निर्वाचक नामावलियों का वार्ड/मतदान केन्द्रों पर पठन	20.03.2021 को
3.	दावों एवं आक्षेपों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	26.03.2021 (शुक्रवार) को
4.	विशेष अभियान की तिथियाँ	20.03.2021 एवं 21.03.2021 को
5.	दावों एवं आक्षेपों के निस्तारण की अवधि	05.04.2021 (सोमवार) तक
6.	पूरक सूचियों की तैयारी	16.04.2021 (शुक्रवार) तक
7.	निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन	19.04.2021 (सोमवार) को

C. सामान्य निर्देश :-

- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-18(2) के प्रावधानों के अनुसार उस व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जा सकता है, जिसने अर्हता तिथि को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तथा जो संबंधित वार्ड का सामान्य तौर पर निवासी हो। सामान्य तौर पर निवासी के संबंध में स्पष्टीकरण अधिनियम की धारा-18(2) में दिये हुये हैं। निर्वाचक नामावलियों को दिनांक 01.01.2021 की अर्हता तिथि के आधार पर तैयार किया जाना है। अतः जिस व्यक्ति की आयु दिनांक 01.01.2021 को 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई हो, वह व्यक्ति निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने का पात्र नहीं होगा।
- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 18(5) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी व्यक्ति का नाम पंचायती राज संस्थाओं में किसी एक से अधिक वार्ड की निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं किया जा सकता है तथा धारा 18(6) के अनुसार किसी व्यक्ति का नाम वार्ड की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार सम्मिलित नहीं हो सकता है। यह सम्भव है कि पंचायत क्षेत्र से संबंधित विधानसभा निर्वाचक नामावली में किसी व्यक्ति का नाम त्रुटिवश एक से अधिक बार सम्मिलित हो गया हो। ऐसे व्यक्ति का नाम उसी एक स्थान पर रहने दिया जावे, जहां के लिए वह पात्र है, तथा शेष स्थानों से उसका नाम काट दिया जाए। किसी ऐसे व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित नहीं किया जाए, जो भारतीय नागरिक नहीं है।
- किन्नर (Transgender) एवं लिंग रूपान्तरक (Sex Changer) मतदाता अपने आप को स्त्री अथवा पुरुष के रूप में प्रकट नहीं करना चाहें तो वे अपना लिंग 'तृतीय लिंग' के रूप में वर्णित कर सकते हैं। उक्त प्रकार के मतदाताओं द्वारा चाहे जाने पर उनके लिंग के कॉलम में 'तृतीय लिंग' अंकित किया जाए।

9.2.2021

4. प्रारूप मतदाता सूचियों में मतदान केन्द्र/बूथ के विवरण का भी अंकन किया जाता है, अतः प्रारूप मतदाता सूचियों के तैयार होने से पूर्व ही मतदान केन्द्र/बूथों का भी निर्धारण कर लिये जाये। मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में आयोग ने परिपत्र संख्या एफ 7(3)(1)पंचा/रानिआ/13/1586 दिनांक 10.05.2019 से मापदण्ड निर्धारित कर सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रेषित कर दिए गए हैं। नियम 30 के परन्तुक के अनुसार मतदान केन्द्र के लिए चयनित स्थान सामान्यतः उस पंचायत मुख्यालय के बाहर का स्थान नहीं होगा, जिसके लिए निर्वाचन कराया जाना है। अतः मतदान बूथों के चयन के समय यह ध्यान रखा जाए कि मतदान बूथ ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही हो। मतदान केन्द्रों/बूथों का विवरण निर्धारित प्रपत्र में मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के तुरन्त पश्चात् आयोग को आवश्यक रूप से प्रेषित किया जावे।
5. चूंकि कोविड-19 अभी समाप्त नहीं हुआ है, अतः एक मतदान भवन में एक से अधिक मतदान केन्द्र स्थापित करते समय कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए यह ध्यान रखा जाए कि मतदान केन्द्र हेतु चयन किए गए कक्षों के मध्य पर्याप्त दूरी हो। यदि किन्ही कारणों से ऐसा संभव नहीं हो तो ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपलब्ध अन्य किसी भवन में मतदान बूथ की स्थापना की जाए ताकि मतदान के समय सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा सके।
6. राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 12 के अनुसार मुद्रित सूचियों से तीन प्रकार की मतदाता सूचियों का प्रारूप (ड्राफ्ट) प्रकाशन अलग-अलग किया जायेगा। सूची के साथ प्रकाशित होने वाला नोटिस (परिशिष्ट-5) संलग्न है। ग्राम पंचायतों के वार्डों की मतदाता सूची का प्रकाशन, पंचायत कार्यालय तथा संबंधित वार्ड में 2 सहज दृश्य स्थानों पर किया जायेगा। पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का प्रकाशन, पंचायत समिति कार्यालय तथा संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में 2 सहज दृश्य स्थानों पर किया जायेगा। इसी प्रकार जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची का प्रकाशन, जिला परिषद कार्यालय तथा संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में 2 सहज दृश्य स्थानों पर किया जायेगा।
7. निर्वाचन नियमों के अन्तर्गत यह भी प्रावधान है कि मतदाता सूची निःशुल्क निरीक्षणार्थ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद कार्यालय में भी उपलब्ध कराई जावे। अतः दावे/आपत्ति प्रस्तुत करने की अवधि पर्यन्त मतदाता सूची निरीक्षणार्थ उक्त कार्यालयों में रखी जावे।
8. दिनांक 17.03.2021 से 26.03.2021 तक दावे व आपत्तियाँ प्रस्तुत करने की अवधि निर्धारित है। दावे व आपत्तियाँ प्रारूप I, II & III में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उक्त अवधि में प्रस्तुत किए जाने हैं। मतदान केन्द्रों के लिये पदाभिहित अधिकारियों की नियुक्ति भी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा की जाएगी, जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से मतदान केन्द्रों पर उक्त अवधि में दावे और आपत्तियाँ प्राप्त कर सकेंगे। प्रमाणों को भी पदाभिहित अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
9. प्रारूप मतदाता सूची की प्रति सभी पदाभिहित अधिकारियों को उपलब्ध करवाकर 20.03.2021 को जिला परिषद/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत के वार्डों में सभायें आयोजित कर संबंधित वार्ड की निर्वाचक नामावलियों का पठन किया जायेगा।
10. मतदाता सूची निरीक्षण के लिए निःशुल्क उपलब्ध रहेगी, ताकि मतदाता इन निर्वाचक नामावलियों का अवलोकन कर या सुनकर नामावली की किसी प्रविष्टि के विवरण के संबंध में यदि कोई दावा/आपत्ति है, तो मतदान केन्द्रों पर विशेष अभियान तिथियों में अथवा 17.03.2021 से 26.03.2021 तक किसी भी दिवस में आवेदन पत्र भरकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए पदाभिहित अधिकारियों को या सीधे ही निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में दे सकें। अतः यह सुनिश्चित करलें कि अभियान तिथियों को पदाभिहित अधिकारियों के पास पर्याप्त मात्रा में प्रारूप I, II & III उपलब्ध रहें। आवेदन पत्र निःशुल्क उपलब्ध करवाये जायेंगे। पठन-पाठन के उक्त कार्यक्रम में पंचायतों के संबंधित अधिकारी व कर्मचारी भी आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे व क्षेत्र के लोगों को कार्यक्रम की जानकारी देंगे।

30.94
9.2.2021

11. मतदान केन्द्रों पर दावे व आपत्तियाँ प्रस्तुत करने के लिए विशेष अभियान तिथियाँ दिनांक 20.01.2021 एवं 21.01.2021 निर्धारित की गई हैं। इन दिनों पदाभिहित अधिकारी पूरे दिवस को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक अपने-अपने मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहकर दावे आपत्तियों के आवेदन प्राप्त करेंगे। शेष दिनों में आधा दिवस मध्याह्न पश्चात् 2.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक उपस्थित रहेंगे। चूंकि कोविड-19 अभी समाप्त नहीं हुआ है, अतः उपस्थित पदाभिहित अधिकारियों द्वारा मास्क एवं सैनेटाईजर का आवश्यक रूप से उपयोग किया जाएगा। दावें एवं आपत्तिकर्ताओं द्वारा भी मतदान केन्द्र परिसर में मास्क लगाकर ही प्रवेश किया जा सकेगा। दावें एवं आपत्तियों के आवेदन प्राप्त करते समय सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी सुनिश्चित की जाए।
12. नियम 12(2) के अनुसार दावे व आपत्तियाँ प्रस्तुत करने का समय 10 दिन निर्धारित है और इन्हें प्ररूप I, II & III में प्रस्तुत किया जावेगा। दावे व आपत्तियाँ डाक द्वारा भी भेजी जा सकती हैं। यह प्ररूप राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 में विहित है। प्राप्त दावों व आपत्तियों की गहन जांच की जाकर उनका निस्तारण किया जायेगा। दावों व आपत्ति हेतु मतदाताओं को समुचित मात्रा में प्ररूप निःशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जावे। यदि मुद्रित प्ररूप उपलब्ध नहीं हो तो फोटोप्रति अथवा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र उसी पेशानी में स्वीकार किये जा सकेंगे।
13. प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का विवरण संलग्न प्रपत्र-3, 4, और 5 (परिशिष्ट-6) में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दो प्रतियों में प्रतिदिन तैयार किया जाएगा तथा उसकी प्रति कार्यालय के सूचना पट्ट पर तीन दिन तक प्रदर्शित की जावेगी।
14. दावे व आपत्तियाँ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भी प्राप्त की जा सकती हैं। इस प्रकार प्राप्त दावे व आपत्तियों के बारे में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भी उपरोक्त प्रपत्रों में सूचना, 2 प्रतियों में तैयार करवाकर एक प्रति अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा। इन प्रपत्रों में सुनवाई की तारीख समय और स्थान वही अंकित किया जावेगा जो कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निश्चित किया गया है। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्राप्त दावे व आपत्तियों को उचित टिप्पणी के साथ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास उसी दिन भेजेगा। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा इस प्रकार प्राप्त प्रकरणों की भी नोटिस बोर्ड पर निर्धारित प्रपत्र 3, 4 व 5 में सूची तैयार कर प्रदर्शित करेगा।
15. दावों व आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम-14 में बतायी गयी है। इसके अलावा नियम-15 व नियम-16 में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को स्वविवेक से कार्य करने की प्रक्रिया भी बतायी गयी है। साथ ही किसी मतदाता के संबंध में आपको सूचना प्राप्त होती है कि, उसकी मृत्यु हो गई है अथवा उसके द्वारा उस वार्ड में अपना निवास स्थान छोड़ दिया गया है तो उक्त मतदाता का नाम, संदर्भित नियमों का पालन करते हुए, विलोपन सूची में अंकित कर दिया जाएगा।
16. निर्वाचक नामावली में अंकित मृत एवं दोहरे मतदाताओं को चिह्नित कर उनका नाम विलोपित किए जाने की कार्यवाही नियम-15 व नियम-16 में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को स्वविवेक से कार्य करने संबंधी प्राप्त शक्तियों के अन्तर्गत की जाए। मृत मतदाताओं को चिह्नित करने के लिए पंचायत कार्यालय में उपलब्ध जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर से मृत व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त प्रणकों को भी निर्देश प्रदान किए जाएं कि वे भौतिक सत्यापन के दौरान मृत मतदाताओं की भी पहचान कर लें।
17. यदि किन्हीं दो या अधिक मतदाताओं के नाम व अन्य विवरण की समरूपता के आधार पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का यह समाधान हो जाए कि दोनों प्रविष्टि एक ही व्यक्ति से संबंधित है तो वह प्ररूप प्रकाशन के बाद निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी स्वविवेक का उपयोग कर उक्त मतदाता का नाम एक स्थान पर, जहां के लिए वह पात्र है, रखते हुए शेष स्थानों से विलोपित किए जाने के लिए नियमानुसार कार्यवाही करेगा।
18. दावों व आपत्तियों के निस्तारण एवं स्वविवेक से नाम जोड़े या हटाये जाने संबंधी प्रकरणों को निर्णित करने के पश्चात् ई-सूची पर प्रविष्टियों की फीडिंग कर वार्डवार फोटोयुक्त पूरक सूची तैयार की जायेगी। अंतिम रूप से तैयार निर्वाचक नामावली का लेजर प्रिंट (Hardcopy) लेकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा नियम-17 के प्रावधानों के अनुसार परिशिष्ट-7 में संलग्न प्ररूप में निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जावेगा।

20.01.21

20.9.2021

3. इसके नीचे इस window में ईआरओ को प्राप्त समस्त आवेदनों की सूची अंकित होगी। इस सूची के कॉलम संख्या-7 में आवेदनों के Status में 'Pending' लिखा हुआ Dropdown दिखाई देगा।
 4. Dropdown को click करने पर 'Approve' एवं 'Reject' का विकल्प आएगा। 'Approve' विकल्प का चयन करने पर निर्वाचक नामावली में नाम स्वतः ही जुड़/हट/संशोधित हो जाएगा अथवा 'Reject' विकल्प का चयन करने पर दावा खारिज हो जाएगा।
 5. इस प्रकार ऑनलाईन प्राप्त होने वाले दावों एवं आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।
22. आवेदक द्वारा नाम जोड़ने/हटाने एवं संशोधित किए जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने हेतु प्रदान की गई उक्त सुविधा का स्थानीय स्तर पर पूर्ण एवं पर्याप्त प्रचार-प्रसार किए जाए ताकि मतदाता उक्त सुविधा का उपयोग कर सके।
 23. निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् संबंधित रिकार्ड अर्थात् प्रारूप निर्वाचक नामावलियां, दावों/आपत्तियों के प्रार्थना पत्र तथा उन पर दिया गया निर्णय और अंतिम रूप से तैयार की गई निर्वाचक नामावलियों की प्रमाणित प्रति संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा नियम-22 के प्रावधानों के अनुसार उसके कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी।
 24. नियम 22 (2) के प्रावधानों के अनुसार किसी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र की नामावली की एक पूर्ण प्रति, जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित हो, जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में भी उस नामावली का अगला गहन पुनरीक्षण पूरा होने तक रखी जावेगी।
 25. मतदाताओं के वार्डवार आंकड़े निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के कार्यालय में एक पत्रावली/रजिस्टर खोलकर उसमें संधारित किए जाएंगे। इस पत्रावली/रजिस्टर में मतदाताओं की कुल संख्या (स्त्री/पुरुष एवं अन्य), प्राप्त दावों एवं आपत्तियों के विवरण, दावों एवं आपत्तियों के निस्तारण में स्वीकृत/अस्वीकृत किए गए प्रकरणों की संख्या, स्वविवेक से जोड़े/हटाए गए मतदाताओं की संख्या (स्त्री/पुरुष एवं अन्य), अंकित की जाकर मय गोश्वारे के संकलित किये जायेंगे।
 26. निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन एवं अंतिम प्रकाशन के पश्चात् उक्त पत्रावली/रजिस्टर में संकलित आंकड़ों के आधार पर सांख्यिकी सूचना के स्टेटमेंट संख्या-1 (परिशिष्ट-9) में सूचना तैयार करवाकर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। इन आंकड़ों से यह पता चलेगा कि, हाल में हुई लोकसभा चुनाव की मतदाता सूची की तुलना में मतदाताओं में कितनी वृद्धि और कमी हुई हैं। असाधारण (Unusal) परिवर्तन की जांच जिला निर्वाचन अधिकारी व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी स्वयं भी करें ताकि मतदाता सूची में कोई गलती ना रहें। यह सुनिश्चित किया जाए कि, मतदाता सूची में पात्र व्यक्ति का नाम जुड़ने से रह नहीं जाए व अपात्र का नाम जुड़ा/सम्मिलित नहीं रहे।
 27. मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के समय भी त्रुटियाँ रह जाने की संभावना रहती है। जिला निर्वाचन अधिकारी यह व्यापक प्रचार-प्रसार करवायें कि, यदि अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूचियों में किन्हीं पात्र व्यक्तियों के नाम रह गये हों या गलत शामिल हो गये हों या कोई अशुद्धि रह गयी हो तो, उसका उपचार नियमों में विहित प्ररूप I या II या III में आवेदन पत्र/आपत्तियों प्रस्तुत कर किया जा सकता है। इस संबंध में प्रक्रिया नियम 20 में बतायी गई है। अंतिम प्रकाशित मतदाता सूचियों के निरंतर अद्यतन (Continuous updation) हेतु नियम 20 में पर्याप्त प्रावधान हैं। नियम 20 के अनुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वविवेक से या प्रार्थना पत्र के आधार पर नाम जोड़ने/हटाने/अंतरण करने की कार्यवाही एक विहित प्रक्रिया के अधीन की जा सकती है। नियम 20 के अंतर्गत निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया में नाम जोड़ने, हटाने, अंतरण करने या शुद्ध करने की कार्यवाही पंचायत चुनावों के लिए नियम 23 या 58 के अंतर्गत लोकसूचना जारी होने से पूर्व तक की जा सकती हैं। इस प्रकार जोड़े गये, हटाये गये या शुद्ध किये गये नामों की सूची पूरक-2 के नाम से बनायी जायेगी। चुनाव की लोकसूचना जारी होने की तिथि से मतदान समाप्ति तक मतदाता सूची में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

20.9.2021

28. राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 17(3) के क्रम में राज्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को निर्वाचक नामावलियों की प्रतियां उपलब्ध कराने के संबंध में आयोग के आदेश क्रमांक 5433/27.11.2019 (सांविधिक आदेश 128/2019) के द्वारा निर्देश प्रदान किए हैं। इसके अतिरिक्त निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन एवं अंतिम प्रकाशन के समय तैयार की जाने वाली प्रतियों के संबंध में आयोग द्वारा पत्रांक 5520 दिनांक 28.11.2019 जारी किया हुआ है। उक्त पत्र पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देशों का संकलन, 2020 पुस्तिका में पृष्ठ संख्या क्रमशः 44 एवं 49-50 पर उपलब्ध है।
29. कार्यक्रम का विस्तृत प्रचार प्रसार हेतु मतदान केन्द्रों पर विशेष अभियान की तिथियों व कार्यक्रम को समाचार पत्रों में समाचारों के माध्यम से तथा इस आशय की सूचना हेतु पम्फलेट वितरित करवाकर प्रचार/प्रसार किया जाए। इसके अतिरिक्त विद्यालयों के प्रार्थना सभाओं में विद्यार्थियों को कार्यक्रम की तिथियों सहित पूर्ण जानकारी देने हेतु शाला प्रधानों को निर्देशित किया जाए ताकि विद्यार्थी अपने परिवारजनों को अवगत करा सकें। जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी अपने-अपने स्तर पर राजनैतिक दलों/स्वयं सेवी संस्थाओं की बैठक आयोजित कर उन्हें मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण के कार्य से जोड़ें ताकि सभी योग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जा सकें।
30. निर्वाचन को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिए मतदाता सूचियों का शुद्ध एवं अद्यतन होना आवश्यक है। प्रत्येक योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची में सही विवरण के साथ अंकित हो। इसका दायित्व प्रणाली से शुरू होकर जिला निर्वाचन अधिकारी तक का है। इस हेतु मतदाता सूची के तैयारी के हर स्तर पर पूर्ण सावधानी एवं पर्याप्त पर्यवेक्षण की आवश्यकता होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के यह निर्देश हैं कि, जिला निर्वाचन अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के स्तर से मतदाता सूचियों का निकटता एवं गहनता से पर्यवेक्षण किया जाए।
31. निर्वाचनों के समय मतदाता सूची में नाम नहीं होने, यहां तक कि कहीं-कहीं महत्वपूर्ण व्यक्तियों (VIP) के नाम तथा एक बड़े क्षेत्र यथा मोहल्ला, गली के मतदाताओं के नाम गायब हो जाने की शिकायतें मिलती हैं। इसके लिए मतदाता सूची तैयार करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया से विभिन्न स्तर पर अपने दायित्वों का सजगता से निर्वहन करने एवं उचित पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए।

निर्वाचक नामावली तैयार करने की उक्त प्रक्रिया में यदि किसी तरह की कोई कठिनाई महसूस होती है तो उसके निराकरण के लिए आयोग कार्यालय एवं SLA के निम्नलिखित कार्मिकों/प्रतिनिधियों से सम्पर्क किया जा सकता है:-

क्र. सं.	नाम एवं पद	मोबाईल नम्बर	विशेष विवरण
1.	श्री अशोक कुमार जैन, उप सचिव, SEC	9414046720, 9829413131	निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए
2.	श्री संजय खण्डेलवाल, वरिष्ठ सहायक, SEC	9636121562, 8005926047	
3.	श्रीमती अनिता भोला, प्रोग्रामर, SEC	7976326853, 9460727078	विधानसभा डेटाबेस के विभाजन एवं सॉफ्टवेयर संचालन संबंधी प्रक्रिया के लिए
4.	श्री दीपचन्द कुमावत, सहायक प्रोग्रामर, SEC	9785624004	
5.	श्री एल. एल. सुथार, प्रतिनिधि SLA	7727011733	
6.	श्री ललित बंसल, प्रतिनिधि SLA	9784016187	

निर्वाचक नामावली तैयार किए जाने हेतु राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के विधिक प्रावधानों एवं आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।

आयोग समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों से अपेक्षा करता है कि, अपने कार्य को उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार समय पर सम्पन्न करेंगे। मतदाता सूचियों में नाम छूटने या गलत नाम जुड़ने की व्यापक शिकायतें प्राप्त होती हैं तो आयोग राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 18-बी के अन्तर्गत संबंधित दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु बाध्य होगा। इस धारा के प्रावधान को जिला निर्वाचन अधिकारी समस्त संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के ध्यान में लाए।

20.9.2021

1. निर्वाचक नामावली तैयार करने की पूरी प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में नियोजित कार्मिकों द्वारा कार्य सम्पादन के दौरान पूर्ण समय मास्क एवं समय-समय पर सैनेटाईजर का उपयोग किया जाएगा।
2. मतदाता सूची से संबंधित कार्य के लिए आने वाले व्यक्तियों एवं कार्मिक द्वारा प्रत्येक स्तर पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हेतु कम से कम छः फीट की दूरी रखी जाएगी।
4. मतदाता सूची की तैयारी हेतु नियोजित यदि किसी कार्मिक द्वारा कोरोना वायरस के लक्षण संबंधी बीमारी (बुखार, खांसी, जुकाम, श्वास लेने में परेशानी आदि) के बारे में सूचित किया जाए तो उसे तुरन्त प्रभाव से उसके कार्य से मुक्त कर दिया जाए।
3. उक्त निर्देशों के अतिरिक्त कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी गाईडलाईनों की पूर्ण रूपेण पालना की जाए।

आज्ञा से,

30.9.2021
(अशोक कुमार जैन)

उप सचिव

दिनांक: 09.02.202

1. निजी सचिव, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
3. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।
4. उप सचिव/सहायक सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।
5. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।
6. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,
7. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
8. प्रबंधक, REIL जयपुर।

30.06
(अशोक कुमार जैन) 2. 2021
उप सचिव

STATE ELECTION COMMISSION, RAJASTHAN						
Draft Electoral Roll Control Chart						
Name of Gram Panchayat:		AS PER e-Suchi SELECTION				
Name of Panchayat Samiti:		SAWAR				
Name of Zila Parishad:		CHITTORGARH				
						FORMAT - A1
Please use this template to create electoral rolls. Please enter values in english. Please do not change or make copies of this template. Please start filling the template from Sr. No. 1						
version,1.2						
1	2	3	4	5	6	7
Sr. No.	Assembly Constituency No.	Assembly Part No.	Voter		Ward No.	Total
			From	To		
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						

9.2.2021

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in. Ph..FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक:एफ. 7(1)(2)/पंचा/रानिआ/2019/3635

दिनांक: 27.9.2019

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) (पंचायत) राजस्थान।

विषय:- पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2020 - निर्वाचक नामावलियां तैयार करने हेतु प्रगणकों की नियुक्ति के संबंध में।

महोदय,

राज्य की पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव माह जनवरी-फरवरी, 2020 में होने हैं। आम चुनाव हेतु पंचायतीराज संस्थाओं की निर्वाचक नामावलियां दिनांक 01.01.2019 की अर्हता तिथि के संदर्भ में तैयार की जानी है। आम चुनावों के लिए निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम आयोग द्वारा शीघ्र ही जारी किया जाएगा। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा वार्डों के पुनर्गठन/परिसीमन का कार्य प्रक्रियाधीन है। नवीन पुनर्गठन/परिसीमन के अनुसार वार्डों की संभावित संख्या का आकलन कर लेवें। पंचायत की वार्डवार मतदाता सूची तैयार करने के लिए प्रगणकों की आवश्यकता होगी। प्रगणकों की संख्या के आकलन हेतु गत आम चुनाव हेतु स्थापित किए गए मतदान केन्द्रों की संख्या को भी आधार बनाया जा सकता है।

आगामी आम चुनावों हेतु आयोग द्वारा नियुक्त स्टेट लेवल एजेंसी (SLA) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फ्रामेन्ट्स लिमिटेड (सील) द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर (e-suchi) के माध्यम से विधानसभा की मतदाता सूचियों के अद्यतन डेटाबेस को पंचायत के वार्डवार विभाजित कर मतदाता सूचियां तैयार की जाएगी। इस विभाजन की प्रक्रिया के लिए प्रपत्र-ए-1 (परिशिष्ट-1) में भरी जाने वाली सूचनाएं संबंधित प्रगणकों द्वारा तैयार की जाएंगी। प्रपत्र-ए-1 में प्रगणकों द्वारा विधानसभा की मतदाता सूची में अंकित किसी भाग के मतदाताओं को उससे संबंधित पंचायत के वार्ड के अनुसार विभक्त किया जाएगा। प्रपत्र-ए-1 की सूचना ई-सूची पर अपलोड करने के बाद वार्डवार प्रारूप मतदाता सूचियां तैयार हो जाएंगी। ऐसी प्रारूप मतदाता सूचियों का संबंधित प्रगणक द्वारा अपने वार्डों में जाकर प्रत्येक मतदाता का भौतिक सत्यापन किया जाएगा।

प्रगणकों की नियुक्ति में निम्न बातों का ध्यान रखा जाए :-

1. ग्राम पंचायत के प्रत्येक तीन या चार वार्डों के लिए एक प्रगणक की नियुक्ति इस बात को ध्यान में रखते हुए की जाए कि उसे आवंटित वार्डों के कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 1100 रहे।
2. एक प्रगणक को एक से अधिक पंचायतों के वार्ड आवंटित नहीं किए जाए।
3. यथा संभव बीएलओ को ही प्रगणकों के पद पर नियुक्त किया जाए।
4. यथा संभव संबंधित ग्राम पंचायत में पदस्थापित कार्मिक को उसी वार्ड के लिए प्रगणक नियुक्त किया जाए ताकि उसे अपने वार्ड की सीमा एवं मतदाताओं की पूर्ण जानकारी हो।
5. नियुक्त किए जाने वाले प्रगणक किसी राजनीतिक दल एवं राजनैतिक गतिविधियों में लिप्त/संलग्न/सम्बद्ध नहीं हो।
6. प्रगणकों की नियुक्ति का कार्य दिनांक 04.10.2019 तक पूर्ण कर लिया जाए।
7. प्रगणक के पद पर नियुक्ति योग्य 10 प्रतिशत अतिरिक्त कार्मिकों की सूची तैयार रखी जाए।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

क्रमांक:एफ. 7(1)(2)/पंचा/रानिआ/2019/3636

प्रतिलिपि समस्त ईआरआ/ईआरओ मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव
दिनांक: 27.9.2019

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

**ग्राम पंचायत में वार्ड वाइज मतदाता सूची तैयार करने के लिए
सॉफ्टवेयर संचालन हेतु दिशा निर्देश :**

क्र.स.	स्टेप	विवरण
1	स्टेप-1	लॉग इन Browser पर जाकर https://www.esuchi.rajasthan.gov.in दाख करें। लॉग इन पासवर्ड डालकर लॉग इन करें।
2	स्टेप-2	पंचायत समिति का चयन करना Change Preferences फॉर्म में जाकर जिला और पंचायत समिति का चयन कर Done बटन पर क्लिक करें।
3	स्टेप-3	ग्राम पंचायत का नाम निर्धारित करना Set Name for Election फॉर्म को ओपन कर ग्राम पंचायत का नाम हिंदी में दर्ज करें।
4	स्टेप-4	मतदान केंद्र का नाम निर्धारित करना Polling Station Detail फॉर्म को ओपन कर मतदान केंद्र मास्टर सूची की डाटा एंट्री/सत्यापन कर लेवें।
5	स्टेप-5	ग्राम पंचायत के वार्ड निर्धारित करना Ward Create/Edit More.. फॉर्म को ओपन कर ग्राम पंचायत के वार्ड की मास्टर सूची की डाटा एंट्री/सत्यापन कर लेवें। कृपया वार्ड के परिसीमन के अनुसार विवरण का इंट्राज होना सुनिश्चित करें यह मतदाता सूची के मुख्य पृष्ठ पर प्रिंट होगा।
ड्राफ्ट मतदाता सूची की पीडीएफ फाइल तैयार करना		
6	स्टेप-6	Format-A1 तैयार कर अपलोड करना Draft Voter List->Upload A/A1 document फॉर्म को ओपन कर ग्राम पंचायत को चुनकर Format-A1 (पूर्व में Format-C1 अंकित था) की Excel (.CSV format) अपलोड करें। Format-A1 की Excel फाइल Download Section में डाउनलोड की जा सकती है।
7	स्टेप-7	Draft Voter List सत्यापन करना Draft Voter List-> View Draft Voter List & Remaining Voter Summary के माध्यम से ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सत्यापन के लिए देख सकते हैं। डाउनलोड सेक्शन में eSuchi PDF Factory Software डाउनलोड कर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की चेकलिस्ट PDF फाइल डाउनलोड सत्यापन के लिए की जा सकती है। इस समय डाउनलोड की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में चेकलिस्ट शब्द प्रिंट होगा।
8	स्टेप-8	ग्राम पंचायत को फ्रीज करना Draft Voter List->freeze draft ward summary फॉर्म ओपन कर ग्राम पंचायत का चयन करें। चेकबॉक्स को चेक करने के बाद Freeze draft roll बटन पर क्लिक कर ड्राफ्ट रोल फ्रीज करें।
9	स्टेप-9	ग्राम पंचायत का कम्प्लीशन सर्टिफिकेट कन्फर्मेशन Draft Voter List->Draft roll completion certificate फॉर्म ओपन कर ग्राम पंचायत का चयन करें। चेकबॉक्स को चेक करने के बाद confirm बटन पर क्लिक कर ड्राफ्ट रोल वेरीफाई करें।
10	स्टेप-10	ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना डाउनलोड सेक्शन में eSuchi PDF Factory Software डाउनलोड करें। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की PDF फाइल (With Photo, Without Photo) डाउनलोड करें। इस समय डाउनलोड की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में चेकलिस्ट शब्द प्रिंट नहीं होगा।
11	स्टेप-11	ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की पीडीएफ फाइल वेब साइट पर अपलोड करना। डाउनलोड की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को पूर्ण रूप से चेक करने के बाद eSuchi PDF Factory Software में उपलब्ध अपलोड सेक्शन में जाकर पीडीएफ फाइल को अपलोड करें। Note : यह सुनिश्चित कर ले की पीडीएफ फाइल का नाम वही है जो की डाउनलोड के समय था, नाम में बदलाव करने पर पीडीएफ फाइल अपलोड नहीं होगी।
12	स्टेप-12	मतदाता का Section Address सही करना अगर जरूरत है तो मतदाता सूची में प्रिंट होने वाले Section Address में बदलाव Setup->Update/Delete Address फॉर्म ओपन कर किया जा सकता है।

20.9.21
9.2.2021

**ग्राम पंचायत में वार्ड वाइज मतदाता सूची तैयार करने के लिए
सॉफ्टवेयर संचालन हेतु दिशा निर्देश**

क्र.स.	स्टेप	विवरण
Supplement /Final मतदाता सूची की पीडीएफ़ फाइल तैयार करना		
13	स्टेप-13	Format-B1 तैयार कर अपलोड करना अगर मतदाता को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने की जरूरत है तो Format-B1 (पूर्व में Format-E1 अंकित था) की Excel (.CSV format) तैयार कर अपलोड करे। अपलोड के पश्चात Format-B1 को process कर लेवे। Format-B1 की Excel फाइल Download Section से डाउनलोड की जा सकती है। NOTE : FORMAT-B1 में मतदाता की क्रम संख्या DRAFT VOTER LIST की क्रम संख्या होगी। ECI वोटर लिस्ट की क्रम संख्या FORMAT-B1 में उपयोग नहीं करे।
14	स्टेप-14	नए मतदाता को जोड़ना / संशोधन करना अगर नए मतदाता को जोड़ने की जरूरत है तो Claim-Objection -> Add New Voter का फार्म ओपन कर जोड़ लेवे। अगर नए मतदाता में संशोधन की जरूरत है तो Claim-Objection ->search/modify new voter का फार्म ओपन कर संशोधन कर लेवे।
15	स्टेप-15	फाइनल वोटर लिस्ट मतदाता में संशोधन /डिलीट करना अगर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट मतदाता में संशोधन /डिलीट की जरूरत है तो Claim-Objection ->update delete voter का फार्म ओपन कर संशोधन /डिलीट कर लेवे।
16	स्टेप-16	Accept/Reject ऑनलाइन एप्लिकेशन eSuchi PDF factory से ऑनलाइन एप्लिकेशन को डाउनलोड करने के पश्चात Field verification होने के बाद सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होने के उपरांत Claim-Objection -> online Formis में जाकर ऑनलाइन एप्लिकेशन को Accept/Reject करे। Accept होने पर एप्लिकेशन के मतदाता सप्लीमेंट/फाइनल मतदाता सूची में जुड़ जाएंगे।
17	स्टेप-17	ग्राम पंचायत को फ्रीज करना Final Voter List->freeze final roll ward summary फार्म ओपन कर ग्राम पंचायत का चयन करे।चेकबॉक्स को चेक करने के बाद Freeze final roll बटन पर क्लिक कर फाइनल रोल फ्रीज करे।
18	स्टेप-18	ग्राम पंचायत का कम्प्लीशन सर्टिफिकेट कन्फर्मेशन Final Voter List->Final roll completion certificate फार्म ओपन कर ग्राम पंचायत का चयन करे।चेकबॉक्स को चेक करने के बाद confirm बटन पर क्लिक कर final रोल वेरीफाई करे।
19	स्टेप-19	फाइनल/सप्लीमेंट वोटर लिस्ट की पीडीएफ़ फाइल डाउनलोड करना डाउनलोड सेक्शन से eSuchi PDF Factory Software डाउनलोड करे। लॉग इन कर फाइनल/सप्लीमेंट वोटर लिस्ट की PDF फाइल (With Photo, Without Photo) डाउनलोड करे। इस समय डाउनलोड की गई फाइनल/सप्लीमेंट वोटर लिस्ट में चेकलिस्ट शब्द प्रिंट नहीं होगा।
20	स्टेप-20	फाइनल/सप्लीमेंट वोटर लिस्ट की पीडीएफ़ फाइल वेब साईट पर अपलोड करना। फाइनल/सप्लीमेंट वोटर लिस्ट को पूर्ण रूप से चेक करने के बाद eSuchi PDF Factory Software में उपलब्ध अपलोड सेक्शन में जाकर पीडीएफ़ फाइल को अपलोड करे। Note : वह सुनिश्चित कर ले की पीडीएफ़ फाइल का नाम वही है जो की डाउनलोड के समय था, नाम में बदलाव करने पर पीडीएफ़ फाइल अपलोड नहीं होगी।
21	स्टेप-21	मतदाता का Section Address सही करना अगर जरूरत है तो मतदाता सूची में प्रिंट होने वाले Section Address में बदलाव Setup->Update/Delete Address फार्म ओपन कर किया जा सकता है।

20.9
9.2.2021

कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

पंचायत समिति जिला

प्रमाण - पत्र

मैं , निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,
पंचायत समिति प्रमाणित करता हूँ कि पंचायत समिति
..... में सम्मिलित समस्त ग्राम पंचायतों के समस्त वार्डों की तैयार कराई गई प्रारूप
मतदाता सूची इनके परिसीमन के अनुसार सही है। प्रारूप मतदाता सूची में अंकित सभी
मतदाताओं का भौतिक सत्यापन प्रगणकों द्वारा किया गया है। मेरे स्वयं के द्वारा
प्रतिशत एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रतिशत भौतिक
सत्यापन के कार्य की नमूना जाँच कर ली गई है।

(अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर)
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
न.पा./न.प./न.नि.

प्रतिहस्ताक्षर

(अधिकारी का नाम)
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)
जिला

20/9/21
9.2.2021

कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (स्थान)

नोटिस

पंचायत सर्किल के वार्डों/पंचायत समिति/जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का प्रारूप (ड्राफ्ट) प्रकाशन

जिला परिषद/ पंचायत समिति
पंचायत सर्किल

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के अन्तर्गत तैयार की गई उक्त पंचायत सर्किल के वार्ड संख्यांक/पंचायत समिति/जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र संख्यांक की मतदाता सूची सर्व साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है।

यदि कोई व्यक्ति इस सूची में नाम जुड़ाना चाहे, या इस सूची में सम्मिलित किसी नाम पर आपत्ति करना चाहे या विद्यमान प्रविष्टियों के किसी विवरण में संशोधन कराना चाहे तो वह इस नोटिस की तारीख से 10 दिन यानि दिनांक को 3 बजे दोपहर तक लिखित आवेदन के रूप में निर्धारित प्रारूप में दावे/आपत्ति निम्न हस्ताक्षरकर्ता अथवा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसील) को प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे दावों व आपत्तियों की सुनवाई तारीख को बजे निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में या (स्थान) पर होगी।

यह सूची निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में या पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद के कार्यालय में कार्यालय के समय में निःशुल्क निरीक्षण की जा सकती है।

स्थान :

तारीख

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

20.9.2021

प्रपत्र-3
दावों की सूची

प्राप्ति की तारीख	क्रम संख्याक	दावेदार का नाम	पिता/पति/माता का नाम	निवास स्थान	सुनवाई की तारीख, समय और स्थान
1	2	3	4	5	6 *

प्रपत्र-4
नामों को सम्मिलित किये जाने बाबत आपत्तियों की सूची

प्राप्ति की तारीख	क्रम संख्याक	आपूर्तिकर्ता का पूरा नाम	जिस नाम की बाबत आपत्ति की गई है उसकी विशिष्टियां				संक्षेप में आपत्ति के कारण	सुनवाई की तारीख, समय व स्थान
			पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	क्रम संख्या	पूरा नाम		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 *

प्रपत्र-5
प्रविष्टियों में की गई विशिष्टियों की बाबत आक्षेपों की सूची

प्राप्ति की तारीख	क्रम संख्याक	आपत्तिकर्ता निर्वाचक का पूरा नाम	प्रविष्टि का विवरण			आपत्ति की प्रकृति	सुनवाई की तारीख, समय व स्थान
			पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	क्रम संख्या मतदाता सूची		
1	2	3	4	5	6	7	8 *

*निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निश्चित सुनवाई की तारीख, समय व स्थान भरा जाए।

20/9/2021

कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (स्थान)

नोटिस

पंचायत सर्किल के वार्डों/पंचायत समिति/जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों की अंतिम प्रकाशन की सूचना

जिला परिषद / पंचायत समिति
पंचायत सर्किल

एतद् द्वारा लोक साधारण की जानकारी के लिये यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त पंचायत सर्किल के वार्ड संख्यांक/पंचायत समिति/जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र संख्यांक की मतदाता सूची के प्रारूप में किये गये संशोधनों की सूची राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के उपबन्धों के अनुसार तैयार की गई है और उक्त सूची की एक प्रति संशोधनों की उक्त सूची सहित प्रकाशित कर दी गई है और मेरे कार्यालय व उक्त पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद मुख्यालय में निरीक्षण के लिये उपलब्ध रहेगी।

स्थान :

तारीख

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

20.04
9.2.2021

STATE ELECTION COMMISSION, RAJASTHAN
Objections on Draft Roll

Name of Gram Panchayat: ZUNAPADAR

Name of Panchayat Samiti: KOTDA

Name of Zila Parishad: UDAIPUR

FORMAT - B1

Please use this template process objections on Draft Voter List. Voters can be shifted from Ward to Ward or Grampanchayat to Grampanchayat. Please enter values in english. Please do not change or make copies of this template. Please start filling the template from Sr. No. 1

version,1.

1	2	3	4	5	6	7
Sr. No.	Shift from Ward No.	Voter		Shift to Grampanchayat	Shift to Ward No.	Total
		Serial No. From	Serial No. To			
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						

20/04/2021

STATEMENT NO. 1

PANCHAYAT GENERAL ELECTIONS, 2021
STATEMENT SHOWING DRAFT VOTERS, CLAIMS AND OBJECTIONS, DISPOSAL THEREOF AND FINAL VOTERS
NAME OF PANCHAYAT SAMITI :-

NAME OF DISTRICT :-

NAME OF DISTRICT :-										CLAIMS AND OBJECTIONS										SUO-MOTO ADDITIONS AND DELETIONS OF NAMES BY ERO.		VOTERS AT FINAL PUBLICATION				% INCREASE IN FINAL VOTERS LIST (COL. NO.19) AS COMPARED TO (COL. 2)	
NAME OF GRAM-PANCHAYAT	NO. OF VOTERS IN THE WARD IN UPDATED ASSEMBLY VOTER LIST					NO. OF VOTERS IN DRAFT PUBLICATION					CLAIMS AND OBJECTIONS										ADDITIONS	DELETIONS	TOTAL	MALE	FEMALE	OTHERS	25
	TOTAL	MALE	FEMALE	OTHER	TOTAL	MALE	FEMALE	OTHERS	CLAIMS RECEIVED	OBJECTION FOR CORRECTIONS IN AN ENTRY	CLAIMS	OBJECTION FOR DELETIONS	OBJECTION FOR CORRECTIONS														
														CLAIMS	OBJECTION FOR CORRECTIONS IN AN ENTRY	CLAIMS	OBJECTION FOR DELETIONS	OBJECTION FOR CORRECTIONS									

20/6/2021